## Order Sheet [Contd] Case No - -360/17 बी.ए.

	Case No50	0/ 1/ 41.5.
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-10-2017	पीठासीन अधिकास का स्थानांतरण हो जाने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। आवेदक अधिवक्ता ने आज ही तर्क सुनकर निराकरण किए जाने का निवेदन किया है।  आवेदक देवेन्द्र कुशवाह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित। फरियादिया छाया द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। थाना गोहद के अपराध कमांक 189/2017 अंतर्गत धारा 366, 376 भाठदंठिव की कफियत व केश डायरी प्राप्त।  आवेदक देवेन्द्र कुशवाह के जमानत आवेदन के साथ उसकी माँ गंगादेवी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह देवेन्द्र कुशवाह का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 जाठफीठ है। इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकृति का आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा ही केश डायरी से स्पष्ट है।  आवेदक देवेन्द्र कुशवाह के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 जाठफीठ पर उभय पक्ष को सुना गया।  आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। फरियादिया एवं फरियादिया के पति ने झूटी रिपोर्ट कर के आवेदक को झूटा फंसाया है। आवेदक को न्यायिक निरोध में लगभग 20 दिन का समय व्यतीत हो चुका है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।  राज्य की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। फरियादिया छाया की ओर से आपत्ति करते हुए व्यक्त किया गया है और जमानत आवेदन को परिजन आए दिन राजीनामा के लिए दबाव बनाते रहते है। यदि आवेदक को जमानत पर छोडा गया तो फरियादिया का न्यायालय में कथन देना भी मुश्किल पड़ जाएगा और वह गवाहों को प्रभावित करेगा। उक्त आधारों पर जमानत आवेदनपत्र निरस्त कने की प्रार्थना की गई है।  उभयपक्ष को सुने जाने एवं कैफियत व केस डायरी का अध्ययन	
	<b>5</b> .	

करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया छाया और उसका परिवार पहले गढ़ा मोहल्ला में रहता था। दिनांक 21.08.2017 को रात्रि नो बजे वह अपने घर पर थी, उसका पित ट्रक पर मजदूरी करने चला गया था। गढ़ा मोहल्ले का देवेन्द्र कुशवाह उसके घर पर आया और उसे बहलाफुसलाकर अपने साथ सूरत ले गया और और सूरत में उसे किराए के कमरे में दो दिन तक रखा और उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद देवेन्द्र उसे सूरत से गोहद ले लाया तथा दिनांक 25.08.2017 को वे गोहद आ गए। देवेन्द्र उसे अपने घर नहीं ले गया और न ही उसे अपने घर जाने दिया। गोहद में ही एक खण्डहर जैसे मंदिर में देवेन्द्र उसे ले गया और वहाँ पर भी देवेन्द्र ने गलत काम किया । दिनांक 26.08.2017 को सुबह देवेन्द्र उसे ग्वालियर ले गया तथा ग्वालियर रेल्वेस्टेशन पर अकेला छोड़कर भाग गया। वहाँ से फरियादिया छाया गोहद अपने घर लगभग 3–4 बजे आ गई और उसने अपने पित को सारा हाल बताया। देवेन्द्र के डर के कारण वह तथा उसके पित थाने पर रिपोर्ट करने नहीं गए। छाया ने अपने पित के मोबाइल से सी.एम हेल्यलाइन में रिपोर्ट की।

फरियादिया के द्वारा सी.एम हेल्प लाइन में प्रस्तुत आवेदन के जॉच करने करने पर अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध अपराध पाए जाने पर प्रतिवेदन उपनिरीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी गोहद को प्रस्तुत किया गया, जिस पर से थाना गोहद में अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध अपराध दर्ज किया। इस मामले में फरियादिया छाया के द्वारा स्वयं ही अभियुक्त देवेन्द्र के साथ जाना प्रकट है। फरियादिया शादी शुदा महिला है, उसके दो बच्चे है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष हुए धारा 164 जा0फौ0 के कथनों में उसने यह बताया है कि अभियुक्त देवेन्द्र ने उससे कहा था कि वह शादी करेगा और अच्छे से रखेगा तो उसकी बातों में आकर अपने बच्चों को छोडकर अच्छे जीवन की आशा में देवेन्द्र के साथ चली गई थी। अंतिम पैरा में यह बताया है कि वह यह नहीं बता सकती है कि शादीशुदा एवं दो बच्चों की मॉ होने के बाद भी अभियुक्त देवेन्द्र के शादी करने के आश्वासन के आधार पर उसके साथ सूरत क्यों चली गई। इस मामले में अभियोजन के अनुसार ही आवेदिका स्वयं अभियुक्त देवेन्द्र के साथ गई है और स्वयं ही लौट आई है। घटना की रिपोर्ट लगभग 10-11 दिन पश्चात् की गई है। मामले की इन सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप तथा धारा 376 भा.दं.वि० के तत्वों को देखते हुए आवेदक देवेन्द्र को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्त देवेन्द्र कुशवाह की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 50,000 / —रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जावे

- 1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
- 3. फरार नहीं होगा 🞾
- 4. विचारण में सहयोग करेगा।
- 5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा। **यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि**तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी

जावे।

आदेश की प्रति सहित केसडायरी वापस हो। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपन्न अभिलेखागार में भेजे जावें।

> अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

## प्रतिलिपि-

- थाना प्रभारी गोहद की ओर केस डायरी सिहत सूचनार्थ प्रेषित
- 2. जे०एम०एफ०सी० सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी गोहद, की ओर से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड